भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2410

बुधवार, 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप का योगदान

2410. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्टार्ट-अप देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण, ड्रोन, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय स्तर के स्टार्ट-अप को वैश्विक स्तर पर ले जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख) : स्टार्टअप और संपूर्ण नवप्रयोग इकोसिस्टम किसी भी देश के विकास के वाहक हैं। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत की स्टार्टअप संस्कृति के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है जो हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा, उद्यमिता की सहायता करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।

इस दिशा में सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 442 से बढ़कर 2023 में 92,683 (28 फरवरी 2023 तक) हो गई है।

स्टार्टअप्स ने शहरी अवसंरचना और सेवा संबंधी प्रावधान में सुधार करने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे पुनरुद्धार और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय स्कीम) में सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, डीपीआईआईटी ने 56 विविध क्षेत्रों से संबंधित स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। इनमें से 15% से अधिक स्टार्टअप कृषि, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान, ऑटोमॉटिव, दूरसंचार और नेटवर्किंग, कंप्यूटर विजन आदि जैसे क्षेत्रों में हैं। 7,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स निर्माण, घरेलू सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और परिवहन तथा भंडारण जैसी शहरी समस्याओं से संबंधित क्षेत्रों में

योगदान दे रहें हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) और (घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए लगातार अनेक प्रयास करती है।

स्टार्टअप इंडिया के तहत प्रमुख स्कीमें नामत: स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान कर रही हैं ताकि स्टार्टअप्स उस स्तर पर पहुंच सकें जहाँ वे एंजल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने में या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में सक्षम होंगे। सरकार प्रमुख वार्षिक प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को भी लागू करती है जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार हितधारकों के परामर्श से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुपालन बोझ को कम करने हेतु विनियामक और नीति संबंधी सिफारिशें प्राप्त करती है। सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की भागीदारी और संलग्नता को भी सुविधाजनक बनाती है। देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित किए गए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2410 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

28 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	**उद्योग**	**मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या**
1	विज्ञापन	673
2	वैमानिकी एयरोस्पेस और रक्षा	910
3	कृषि	4653
4	एआई	1580
5	हवाई अड्डे का संचालन	10
6	विश्लेषिकी	640
7	एनिमेशन	93
8	एआर वीआर (संवर्धित + वर्चुअल वास्तविकता)	485
9	वास्तुकला इंटीरियर डिजाइन	517
10	कला और फोटोग्राफी	321
11	मोटर वाहन	1950
12	जैव प्रौद्योगिकी	260
13	रसायन	813
14	कंप्यूटर विजन	223
15	निर्माण	3873
16	डेटिंग मैट्रिमोनियल	81
17	डिज़ाइन	629
18	शिक्षा	5962
19	एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर	1696
20	इवेंट	365
21	फ़ैशन	1279
22	वित्त प्रौद्योगिकी	2930
23	खाद्य और पेय पदार्थ	4523
24	हरित प्रौद्योगिकी	2046
25	हेल्थकेयर एंड लाइफसाइंसेज	8691
26	घरेलु सेवाएं	633
27	मानव संसाधन	1979
28	इंडिक भाषा स्टार्टअप	269
29	इंटरनेट ऑफ थिंग्स	1428
30	आईटी सेवाएं	11099
31	लॉजिस्टिक	412
32	विपणन	1837
33	मीडिया और मनोरंजन	1426
34	नैनो टेक्नोलॉजी	145
35	गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	1639
36	अन्य विशेष खुदरा विक्रेता	623
37	यात्री अनुभव	11
38	पालतू और अन्य पशु	244
39	व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं	4506

40	रियल एस्टेट	810
41	नवीकरणीय ऊर्जा	2429
42	रिटेल	2160
43	रोबोटिक्स	491
44	सुरक्षा	292
45	सुरक्षा समाधान	972
46	सामाजिक प्रभाव	576
47	सामाजिक नेटवर्क	659
48	खेल-कूद	453
49	प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	2934
50	दूरसंचार और नेटवर्किंग	880
51	वस्त्र और परिधान	1362
52	खिलौने और खेल	215
53	परिवहन और भंडारण	1456
54	यात्रा और पर्यटन	1436
55	अपशिष्ट प्रबंधन	593
56	जो निर्दिष्ट नहीं है	3511
कुल योग		**92,683**

*****

अनुबंध- II

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2410 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम</u>

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

- **<u>स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:</u>** 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षाविद साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक वाईब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी है।

- **<u>स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम:</u>** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की निगरानी एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरूआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नये वेंचर कैपिटल फंड को बढ़ावा दिया है।
- **<u>स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस):</u>** सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेबिट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरूआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
- **<u>विनियामक सुधार</u>:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 50 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
- **<u>अधिप्राप्ति को आसान बनाना:</u>** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयो/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक समर्पित स्थान है।
- **<u>बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता</u>:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरूआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिये उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

- **<u>श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:</u>** स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत उनके अनुपालन के स्व-प्रमाणित करने के लिए अनुमति दी जाती है।
- **<u>3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:</u>** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि में से लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।
- **<u>भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच</u>:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिये भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यहां अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिये किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर और यूएई) के साथ संपर्क स्थापित किया है जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।
- **<u>स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास</u>:** सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।
- **<u>स्टार्टअप इंडिया हब</u>:** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगा सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।
- **<u>अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):</u>** डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।
- **<u>स्टार्टअप इंडिया शोकेस</u>:** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति को वैध ठहराया है।
- **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद</u>:** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य है जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **<u>स्टार्टअप इंडिया-आगे की राह:</u>** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर समारोह में स्टार्टअप इंडिया-आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।
- **<u>स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस):</u>** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के

लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

- **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) :</u>** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेब्लर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विकासयोग्य उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपतति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप इंडिया चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।
- **<u>राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) :</u>** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य बेहतर परिपाटियों की पहचान करने, सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत कार्यकलाप को उजागर करना और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- **<u>दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन</u>:** पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर करते हुए दूरदर्शन पर एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम नामतः स्टार्टअप चैम्पियन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया गया है।
- **<u>स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह</u>:** सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है जिसका मुख्य लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना था।

*****